



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1937 (श०)

(सं० पटना 402) पटना, वृहस्पतिवार, 26 मार्च 2015

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

26 मार्च 2015

सं० 11/उत्पाद (नि० म०)-02-01/2014-1170—विभागीय अधिसूचना संख्या-10/नीति (शुल्क पुन०)-88/2012-1538 दिनांक-07.12.2012 की कंडिका 11 को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से प्रख्यापित किया जाता है :-

“उत्पाद प्रपत्र 27 (क) के शर्त संख्या-3 के अन्तर्गत मसालेदार देशी शराब के निर्माण की अनुज्ञाप्ति के लिए अनुज्ञाशुल्क के रूप में ₹ 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) एक मुश्त अग्रिम वसूलनीय होगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 402-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>